प्रभात खबर
www.prabhatkhabar.com

अगले हफ्ते से सूचनाएं ऑनलाइन

आरटीएस में जुड़ेंगी नयी सेवाएं

पटना : लोक सेवा का अधिकार (आरटीएस) कानून का लाभ अब तक 28 लाख से अधिक लोगों को मिल चुका है. इस सफलता को देखते हुए कुछ अन्य सेवाओं को भी इसमें जोड़ने की योजना है. इसके अलावा सेवाओं के लिए जो समयसीमा निर्धारित है, उसे और कम किया जाना है. वहीं, अब तक जिन सेवाओं का परफॉरमेंस संतोषजनक नहीं है, उनमें सुधार लाने की कवायद चल रही है. सेवाओं से जुड़ी सूचनाओं को अगले सप्ताह से ऑनलाइन करने की तैयारी है.

सुझावों के अनुप नयी सेवाएं

सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव व बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के निदेशक दीपक कुमार का कहना है कि 20 अक्टूबर को इस कानून को लेकर सभी प्रमंडलीय आयुक्तों व जिलाधिकारियों ने प्रावधानों में सुधार करने का सुझाव दिया. इन सुझावों में समयसीमा को कम करना, स्वास्थ्य, बिजली, छात्रवृत्ति व नगरीय सेवाओं को भी आरटीएस में शामिल करने, तत्काल सेवा सशुल्क शुरू करने की बातें प्रमुख हैं.

मिशन इन सुझावों के आधार पर समेकित रूप से प्रस्ताव तैयार कर लागू करने जा रहा है. ऑनलाइन सूचना उपलब्ध कराने का कार्य अगले सप्ताह से शुरू होने जा रहा है.

मिलीं शिकायतें

मिशन निदेशक दीपक कुमार का कहना है कि एक दर्जन अधिकारियों के खिलाफ समय पर सेवा उपलब्ध कराने में कोताही बरतने की शिकायतें मिली हैं. उनकी जांच करायी जा रही है.

शिकायतें सही प्रमाणित होने पर आरटीएस के नियम के अनुसार पांच सौ से पांच हजार रुपये तक जुर्माना वसूला जायेगा. यह राशि संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन से कटौती कर सरकारी खजाने में जमा करायी जायेगी.